Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 16–2025] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 22, 2025 (VAISAKHA 2, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 अप्रैल, 2025

क्रमांक 793(CFMS)–प0पा0–4–2025/2244.— हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001 (2001 का 6) की धारा 17 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 में, नियम 21 में, उप–नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(1) अधिनियम की धारा 5 और 6 के अधीन फीस या उपकर, जिसमें शास्ति, यदि कोई हो, भी शामिल है, के विलंबित भुगतान पर, भुगतान की देय तिथि से प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

(2) केवल मूलधन तथा ब्याज दोनों के भुगतान के बाद, चूक की राशि भुगतान की गई समझी जाएगी।''।

विजय सिंह दहिया,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।